

न्यायालय –सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कं.-936 / 2011
 संस्थित दिनांक-02.12.2011
 फाईलिंग क्र.234503001162011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// विरुद्ध //

1-अमित पिता धरमदास सोनवाने, उम्र-27 वर्ष, जाति पनिका,
 निवासी-इन्द्रामार्केट, थाना-मलाजखण्ड, जिला-बालाघाट(म.प्र.)

2-हासीम खान पिता मो. शाबीर खान, उम्र-30 वर्ष, जाति मुसलमान,
 निवासी-ग्राम चारटोला, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-रंजित उर्फ दानी पिता सुमेरसिंह, उम्र-22 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम चारटोला, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

4-अल्फाज शेख पिता ऑस मोहम्मद, उम्र-24 वर्ष, जाति मुसलमान,
 निवासी-ग्राम चारटोला, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

5-कासीम खान पिता मो. शब्बीर खान, उम्र-26 वर्ष, जाति मुसलमान
 निवासी-ग्राम चारटोला, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपीगण**

// निर्णय //

(आज दिनांक-14/08/2015 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/34 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-30/08/2011 व 31/08/2011 की दरम्यानी रात्रि में 10:00 से 05:00 बजे के मध्य थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम खुर्सीपार में फरियादी नेहरू मरकाम के घर के सामने सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी नेहरूसिंह के कब्जे से एक नग ट्रेक्टर का नागर (कल्टीवेटर), ट्रेक्टर का मिट्टी खोदने

का प्लाउ एक नग, मिट्टी प्लेन करने का फावड़ा कीमती करीबन 46,000/-को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी नेहरू मरकाम दिनांक-29.08.11 को अपनी रिश्तेदारी में गया था तथा दिनांक-30.08.11 की शाम करीबन 7:00 बजे घर वापस आया और करीबन 10:00 बजे खाना खाकर अपने परिवार के साथ सो गया। सुबह 5:00 बजे उसने उठकर देखा कि उसके घर के किनारे एवं मुख्य रोड के पास खुले स्थान में उसके खेत जोतने के औजार एक नग कल्टीवेटर, एक नग प्लाउ, एक नग फावड़ा मंगलवार रात्रि 10:00 बजे से बुधवार सुबह 5:00 बजे के मध्य किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है, जिसे उसने तीन वर्ष पूर्व 46,000/-रूपये में खरीदा था। उक्त सामान की तलाश उसने इधर-उधर किया, किन्तु सामान नहीं मिला। उसके सामान में गुलशन कृषि फार्म खुर्सीपार नीले अक्षरों से लिखा है, जिसे देखकर वह पहचान लेगा। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थी नेहरू मरकाम ने पुलिस थाना बिरसा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-89/11 धारा-379 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान उक्त घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, फरियादी एवं साक्षियों के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध संदेह जाहिर किये जाने पर आरोपीगण को तलब कर पूछताछ कर उनके मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपीगण से चोरीशुदा संपत्ति जप्त की गई, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को विधिवत् गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 379/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण का अभियुक्त परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर उन्होंने अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-30/08/2011 व 31/08/2011 की दरम्यानी रात्रि 10:00 से 05:00 बजे के मध्य थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम खुर्सीपार में फरियादी नेहरू मरकाम के घर के सामने सामान्य आशय निर्मित कर उसके

अग्रसरण में फरियादी नेहरूसिंह के कब्जे से एक नग ट्रेक्टर का नागर (कल्टीवेटर), ट्रेक्टर का मिट्टी खोदने का प्लाउ एक नग, मिट्टी प्लेन करने का फावड़ा कीमती करीबन 46,000 /— को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष:—

5— फरियादी नेहरू सरकाम (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को जब पुलिस थाना बिरसा में पकड़कर लाए थे, तब देखा था। घटना पिछले वर्ष पोले के समय की है। घटना दिनांक को सुबह जब वह उठा उसके घर के पास रखा खेती के औजार एक कल्टीवेटर, प्लाउ एक नग और एक नग फावड़ा नहीं थे, कोई उन्हें उठाकर ले गया था। उक्त सामानों की कीमत वर्तमान में 50-60 हजार रुपये है। उसके औजार नहीं मिलने पर उसने थाना बिरसा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त औजारों में गुलशन कृषि फार्म नीले पेन्ट से लिखा हुआ था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी। उसने अपने औजारों को कबाड़ी में जाकर पहचाना था। शिनाख्ती फार्म प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने चोरी वाले दिन ही घटना की रिपोर्ट लिखाई थी और रिपोर्ट लिखाने के दिन ही पुलिस ने मौके पर जाकर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने शिनाख्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-3 के समय उसके औजार के अलावा मिलते-जुलते अन्य कोई औजार नहीं रखे थे और न ही शिनाख्ती कार्यवाही किसी अन्य व्यक्ति से करवाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि शिनाख्ती की कार्यवाही पुलिस के द्वारा कबाड़ी की दुकान में कराई गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस ने दिनांक-05.09.11 को चोरी का पूरा सामान कबाड़ी की दुकान में से जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार किया था। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले के अनुरूप उसके आधिपत्य के सामान चोरी होने का समर्थन किया है, किन्तु पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समय व स्थान में परस्पर विरोधाभास

अपने कथन में किया है तथा शिनाख्ती एवं जप्ती की कार्यवाही के समय और स्थान में भी साक्षी के कथन के अनुसार भिन्नता होना प्रकट होती है। यद्यपि फरियादी के रूप में उसकी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय उसके आधिपत्य का उक्त सामान चोरी हो गया था, जिसे पुलिस के द्वारा शिनाख्ती कार्यवाही कर पहचान कराई गई थी।

7— नैनसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह फरियादी नेहरू मरकाम को पहचानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है। उसके मकान से प्रार्थी का मकान दिखता है। घटना दिनांक को जब रात्रि 1:00 बजे उठा तो देखा कि एक छोटा हाथी वाहन रुका था। जब वह दूसरे दिन फरियादी के घर दतून के लिए गया था, तो फरियादी अपने घर पर औजार देख रहे थे। उस समय फरियादी घर पर नहीं था, उसे फोन लगाकर बुलाए थे। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का खण्डन महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने घटना के समय फरियादी के आधिपत्य से सामान चोरी होने की पुष्टि की है।

8— उक्त साक्षीगण के कथन से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय फरियादी नेहरू के आधिपत्य से एक नग ट्रेक्टर का नागर (कल्टीवेटर), ट्रेक्टर का मिट्टी खोदने का प्लाउ एक नग, मिट्टी प्लेन करने का फावड़ा चोरी हो गया था। प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि उक्त चोरी आरोपीगण के द्वारा ही की गई थी। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मामलों में आरोपीगण को कथित चोरी करते हुए किसी भी व्यक्ति के द्वारा देखा नहीं गया है तथा फरियादी ने अज्ञात के विरुद्ध उक्त चोरी किये जाने के संबंध में थाना बिरसा में रिपोर्ट लेख कराई है। ऐसी दशा में पुलिस द्वारा आरोपीगण से पूछताछ के दौरान तैयार मेमोरेण्डम कथन एवं जप्तीपंचनामा की कार्यवाही के आधार पर अभियोजन का मामला आरोपित अपराध के संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित करने हेतु निर्भर है।

9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी लखन भिमटे (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-05.09.2011 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-89/11, धारा-379 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटनास्थल का

नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 प्रार्थी नेहरू की निशानदेही पर तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी नेहरू, साक्षी नैनसिंह के एवं दिनांक-08.09.2011 को साक्षी सुरेश, सलीम, राधेश्याम, सुनिलदास एवं दिनांक-04.10.2011 को साक्षी शैलेन्द्र व सोनू के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-08.09.11 को आरोपी हासीम को अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया, पूछताछ पर आरोपी हासीम ने प्रदर्श पी-8 के मेमोरेण्डम कथन में बताया कि उसने ईद के एक दिन पहले रात्रि करीब 11:00 बजे अमितदास, कासिम, अलफाज के साथ छोटा हाथी क्रमांक-एम.पी-50/एल.ए.0284, जिसे अमितदास चला रहा था, जिसमें बैठकर मलाजखण्ड के ग्राम खुर्शीपार पहुंचकर एक बजे रात्रि में अकेले मकान रोड किनारे के सामने रखे ट्रैक्टर का नागर, प्लाउ एवं चौड़ा पावड़ा उठाकर छोटा हाथी में रखकर चुरा लिये थे, जिसे सालेवाड़ा में सलीम को बेचना चाहे, जिसने बिल न होने से सामान नहीं लिया तो उक्त सामान को सलीम के घर के बाजू में झाड़ो के पास सालेवाड़ा में रखा है, चलो चल कर बरामद करा देता हूं का कथन दिया था। उसी दिनांक को आरोपी अमितदास ने पूछताछ के दौरान प्रदर्श पी-9 का मेमोरेण्डम कथन साक्षियों के समक्ष दिया था, उक्त दिनांक को ही आरोपी रंजित ने साक्षियों के समक्ष पूछताछ के दौरान प्रदर्श पी-10 का मेमोरेण्डम कथन दिया था, जिन पर उसके आरोपीगण एवं साक्षियों के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी हासीम के द्वारा ग्राम सालेवाड़ा सलीम के घर के आम का झाड़ जो खुली जगह थी, को जप्त कराने पर एक नागर जिस पर गुलशन कृषि फार्म खुर्शीपार हरे रंग से लिखा था, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-12 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी रंजीत से मिट्टी प्लेन करने का चौड़ा पावड़ा साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-13 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी अमितदास से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-14 अनुसार साक्षियों के समक्ष वाहन क्रमांक-एम.पी-50/एल.ए-0284 जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त जप्तीपत्रक पर आरोपी एवं साक्षियों के हस्ताक्षर लिये थे।

10— उक्त साक्षी का आगे यह भी कथन है कि उक्त दिनांक को ही आरोपी अमितदास, रंजीत, हासिम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-15 से लगायत प्रदर्श पी-17 तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-04.10.11 को आरोपी अलफाज को अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया तो उसने पूछताछ में

साक्षियों के समक्ष प्रदर्श पी-5 का मेमोरेण्डम कथन दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी एवं साक्षियों के हस्ताक्षर लिया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा सामग्री की विधिवत् कार्यवाही की गई थी, जिसका शिनाख्ती फार्म प्राप्त कर चालान के साथ संलग्न किया है। जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया तथा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर चालान के साथ संलग्न किया था। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था।

11— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने प्रार्थी नेहरू को दिनांक-05.09.11 को कबाड़ी की दुकान सालेवाड़ा में ले जाकर शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार कराया था और उसी दिन चोरी का सामान लेकर सालेटेकरी ला लिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने उसी दिन जप्ती की कार्यवाही कर गांव के लोगों के हस्ताक्षर जप्ती में करवा लिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादी नेहरू को सालेवाड़ा स्थित कबाड़ी की दुकान से चोरी गया सामान मिल गया था, उसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में चुनौती दी है, जिन्हें फरियादी नेहरू (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है। फरियादी नेहरू (अ.सा.1) के अनुसार जिस दिन रिपोर्ट लेख कराई गई थी अर्थात् दिनांक-05.09.11 को ही संपूर्ण कार्यवाही जप्ती अधिकारी के द्वारा कर ली गई थी, किन्तु जप्ती अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में उक्त तथ्य से इंकार किया है। जप्ती अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज किये जाने के बाद आरोपी अमित, रंजीत से मेमोरेण्डम की कार्यवाही दिनांक-08.09.11 को किया जाना बताया है, जबकि आरोपी अल्फाज से मेमोरेण्डम की कार्यवाही प्रदर्श पी-5 रिपोर्ट दर्ज किये जाने के एक दिन पूर्व ही अर्थात् दिनांक-04.10.11 को किया जाना प्रकट किया है। उक्त मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-5 में अपराध क्रमांक-89/11 भी लेख है, जबकि उक्त अपराध क्रमांक, दिनांक-04.10.11 को दर्ज किया जाना प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार जप्ती अधिकारी के द्वारा मामलों में अपराध दर्ज किये जाने व रिपोर्ट लेख करने के पूर्व ही संबंधित अपराध के अंतर्गत की गई मेमोरेण्डम की कार्यवाही से जप्ती अधिकारी की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है।

12— मेमोरेण्डम, जप्तीपंचनामा के महत्वपूर्ण साक्षीगण शैलेन्द्र जैसवाल (अ.सा. 4), सुनिलदास (अ.सा.5), सोनू रजक (अ.सा.8), राधेश्याम तुरकर (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। उक्त साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित किये जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने पुलिस के कहने पर कोरे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

13— शिनाख्ती कार्यवाही के महत्वपूर्ण साक्षी लालहलधर सिंह (अ.सा.10) ने अपनी साक्ष्य में शिनाख्ती कार्यवाही उसके द्वारा करने से इंकार किया है और अन्य साक्षी रविन्द्र कुमार यादव (अ.सा.11), गंगाराम (अ.सा.12) ने अपनी साक्ष्य में उनके सामने शिनाख्ती कार्यवाही किये जाने से इंकार किया है। उक्त साक्षीगण ने पुलिस के कहने पर शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 पर चौकी सालेटेकरी में हस्ताक्षर करना बताया है। साक्षीगण ने शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 के अनुसार विधिवत् कार्यवाही किये जाने से इंकार किया है।

14— सलीम खान (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि वह लोहा कबाड़ी बेचने व खरीदने का कार्य करता है और दिनांक-31.08.11 को चार लड़के उसके पास छोटा हाथी लेकर ट्रेक्टर के नागर, प्लाउ एवं फावड़ा बेचने के लिए आए थे तो उसने बिल लाने पर सामान खरीदना कहा, तो उक्त सामान घर के बाहर छोड़कर चले गए थे। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपीगण की पहचान नहीं की है और न ही कथित चोरी के सामान को उसको बेचने के प्रयास के संबंध में अभियोजन का समर्थन किया है।

15— सुरेश कुमार विजयवार (अ.सा.8) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-08.09.2011 को पुलिस चौकी सालेटेकरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। सलीम खान ने सालेवाड़ा चौकी में आकर बताया कि हासीम खान मलाजखण्ड का छोटा हाथी (पिकअप) वाहन में कल्टीवेटर, फावड़ा तथा एक अन्य सामान को दिनांक-30.08.2011 एवं दिनांक-31.08.2011 की दरमियानी रात्रि को उसके पास बेचने के लिए लाया था, जिसका बिल पेश न करने पर उसने खरीदा जो हासिम

खान मलाजखण्ड का बेचने लाया था, उसके घर के सामने छोड़कर चला गया। उक्त बात की जानकारी उसने मोबाईल पर थाना प्रभारी बिरसा को दी थी, उसने पूछताछ के दौरान अपना बयान दिया था। उक्त साक्षी ने मात्र अनुश्रुत साक्षी के रूप में कथन किये हैं, जिससे अभियोजन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

16— अभियोजन की ओर से जप्ती अधिकारी लखन भिमटे (अ.सा.7) की कार्यवाही का किसी भी स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है। फरियादी नेहरू (अ.सा.1) की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मामलें में जिस दिन चोरी हुई उसके अगले ही दिन उसने रिपोर्ट लिखाई है, जबकि अभियोजन मामलें के अनुसार चोरी होने की घटना के पांचवे दिन रिपोर्ट लेख की गई है। उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि पुलिस ने जिस दिन अज्ञात के विरुद्ध चोरी की रिपोर्ट लेख की थी, उसी दिन पुलिस के द्वारा मौकानक्शा तैयार किया गया था, जबकि मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 भी चोरी की घटना के पश्चात् पांचवे दिन तैयार किया जाना प्रकट होता है। उक्त फरियादी ने अपनी साक्ष्य में पुलिस के द्वारा शिनाख्ती कार्यवाही की जाना बताया है, जिसका समर्थन स्वयं अभियोजन के अन्य साक्षीगण जिनको शिनाख्ती के पंच साक्षी के रूप में पेश किया गया है, उन्होंने उक्त शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 की कार्यवाही से इंकार किया है और पुलिस के कहने पर पुलिस चौकी पर हस्ताक्षर करना बताया है। इस प्रकार पुलिस के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही का समर्थन न तो मेमोरेण्डम व जप्ती के साक्षीगण ने किया है और न ही शिनाख्ती के साक्षीगण ने किया है। स्वयं फरियादी नेहरू (अ.सा.1) के कथन से अभियोजन मामलें के अनुसार की गई कार्यवाही में समय व स्थान में भिन्नता है, जिसे अभियोजन ने साक्ष्य में दूर नहीं किया है।

17— अभियोजन साक्ष्य से केवल यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय फरियादी नेहरू के आधिपत्य से एक नग ट्रेक्टर का नागर (कल्टीवेटर), ट्रेक्टर का मिट्टी खोदने का प्लाउ एक नग, मिट्टी प्लेन करने का फावड़ा चोरी हो गया था, जिसे फरियादी नेहरू ने न्यायालय से सुपुर्दगी में प्राप्त किया है और उक्त जप्तशुदा संपत्ति पर आरोपीगण ने स्वामित्व होने का दावा पेश नहीं किया है। प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से जप्ती अधिकारी द्वारा की गई मेमोरेण्डम व जप्ती की कार्यवाही स्वयं अभियोजन साक्ष्य से ही संदेहास्पद हो जाती है। मामलें में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट लेख किया गया है और आरोपीगण को कथित चोरी करते हुए किसी के द्वारा

नहीं देखा गया है। ऐसी स्थिति में जप्ती अधिकारी द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही से अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह की परिधि में आता है, जिसका लाभ आरोपीगण को प्राप्त होता है।

18— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी नेहरू मरकाम के घर के सामने सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी नेहरोसिंह के कब्जे से एक नग ट्रेक्टर का नागर (कल्टीवेटर), ट्रेक्टर का मिट्टी खोदने का प्लाउ एक नग, मिट्टी प्लेन करने का फावड़ा कीमती करीबन 46,000 /— को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की। फलस्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379/34 के आरोप के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

19— आरोपीगण के जमानत/मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20— प्रकरण में आरोपी अमित, हासीम खान, रंजित उर्फ दानी दिनांक 08.09.2011 से 20.09.2011 तक एवं आरोपी अल्फाज शेख दिनांक 04.10.2011 से 07.10.2011 तक तथा आरोपी कासीम दिनांक-08.11.12 से 09.11.12 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

21— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक नग कल्टीवेटर, एक प्लाउ मिट्टी खोदने, एक नग मिट्टी प्लेन करने का फावड़ा सुपुर्ददार नेहरू सिंह को तथा वाहन क्रमांक-एम.पी-50 एल.ए-0284 छोटा हाथी सुपुर्ददार धरमदास सोनवाने सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अतएव सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् अंतिम रूप से सुपुर्ददार के पक्ष में माना जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)